रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082026-275438
CG-DL-E-13082026-275438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4291]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948
No. 4291]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

का.आ. 4469(अ).— यतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या का. आ. 122(अ) दिनांक 17.01.2014 द्वारा मेसर्स मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात "कंसेसनेयर" के रूप में संदर्भित किया जाए) को वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तिथि तक शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा जाए) ने अपने अतिरिक्त व्यय पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (नया एनएच-09) पर जिला मुरादाबाद में 800 मीटर की लंबाई के लिए आरओबी (किमी. 179.350 से किमी. 180.150) विकसित किया है। उक्त आरओबी के लिए शुल्क संग्रह की रीति और कंसेसनेयर को प्राधिकरण की ओर से शुल्क संग्रहण के लिए सक्षम बनाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (जिसे इसके पश्चात "प्राधिकरण" कहा जाए) और कंसेसनेयर के बीच दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 को एक पूरक करार किया गया है।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण और

कंसेसनेयर के बीच किए गए उपर्युक्त करार को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा कंसेशनेयर को प्राधिकरण की ओर से मुरादाबाद में 800 मीटर लंबे आरओबी के उपयोग हेतु शुल्क संग्रहण के लिए अधिकृत करती है और का.आ. संख्या 122(अ) दिनांक 17.01.2014 (जिसे इसके पश्चात "उक्त अधिसूचना" कहा जाए) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, पैरा II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

(i) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 में, **"66.950 किमी"** (पंक्ति 7 में दर्शाई गई) को ***"67.680 किमी और 0.700 किमी (0.070 किमी की लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली)"*** *से प्रतिस्थापित किया जाएगा।*

(ii) उक्त अधिसूचना में, बिंदु संख्या 1 में विनिर्दिष्ट सारणी को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:

टोल प्लाजाओं का अवस्थान (डिजाइन चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
जिला मुरादाबाद में गाँव नियामतपुर एकतोरिया के पास 172.698 किमी पर (किमी 172.250 पर मौजूदा चेनेज)	40.780
जिला बरेली में गाँव थिरिया खेतल के पास 228.885 किमी पर (किमी 227.900 पर मौजूदा चेनेज)	26.900

(iii) बिन्दु संख्या 2 में, निम्नलिखित उप बिन्दु 2(क) प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

"2(क) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित दरों पर, देय और संदेय होगा, अर्थात:-

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है		
	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जिला मुरादाबाद में गाँव नियामतपुर एकतोरिया के पास 172.698 किमी पर (किमी 172.250 पर मौजूदा चेनेज)	0.070*	0.700	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*संरचनाओं (>60 मीटर लंबाई) का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	संरचनाओं का अवस्थान (डिजाइन चेनेज)	संरचनाओं की सामान्य लंबाई (किमी में)	संरचनाओं की समतुल्य लंबाई (किमी में)	संरचना का प्रकार
1.	किमी 179.760 पर	0.070	0.700	आरओबी

[फा. सं. 11015/2/2010/बीओटी/पीआईयू-एमबीडी-पार्ट(3)/ई-244322]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

S.O. 4469(E) .— Whereas in the exercise of the powers conferred by Section 8A of NH Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of NH Fe Rules, 2008, Central Government vide Gazette Notification bearing number S.O. 122(E) dated 17.01.2014 has authorised the M/s Moradabad Bareilly Expressway Limited(hereinafter referred to as the "Concessionaire") to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

And whereas, National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the 'Authority') at its own additional cost has developed ROB (from Km. 179.350 to Km. 180.150) in district Moradabad for a length of 800m on the National Highway number 24 (new NH-09) in the State of Uttar Pradesh. A supplementary agreement dated 10th October, 2024 has been signed between National Highways of India (hereinafter referred to as the "Authority") and Concessionaire for the modalities of fee collection for the said ROB and to enable the concessionaire to collect the fee on behalf of the Authority.

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government, having regard to the aforesaid agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby authorises the Concessionaire to collect the fee for use of ROB in Moradabad, having a length of 800m, on behalf of the Authority and makes the following amendments to the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Para II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 122(E) dated 17.01.2014 (hereinafter referred to as the "said notification"), namely:-

(i) In Paragraph 3 of said notification, the figure **"66.950 km"** (appearing in line 7) shall be substituted with ***"67.680 km and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 0.700 km (having length of 0.070 km)"***

(ii) In the said notification, the Table specified in Point No. 1 shall be substituted with the following:

Location of Toll Plazas (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At Km 172.698 (existing chainage at Km 172.250) near Village Niyamatpur Ektoria in District Moradabad	40.780
At Km 228.885 (existing chainage at Km 227.900) near Village Thiriya Khetal in District Bareilly	26.900

(iii) In point no. 2, the following sub point 2(a) shall be inserted, namely: -

"2(a) In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plazas, by converting the length of structures into an equivalent length of highways by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10, at the base rates mentioned in Table-1 above, namely: -

Location of Toll Plaza (Design Chainage)	**Length (in km) for which Fee payable**		
	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km 172.698 (existing chainage at Km 172.250) near Village Niyamatpur Ektoria in District Moradabad	0.070*	0.700	100% for four or more lane, of base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structures (>60 m length) are as under:

S. No.	Location of Structures (Design Chainage)	Normal length of Structures (in km)	Equivalent length of structures (in km)	Type of Structure
1.	At Km 179.760	0.070	0.700	ROB

”

[F. No. 11015/2/2010/BOT/PIU-MBD-Part(3)/E-244322]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.08.13 21:39:27 +05'30'